राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मैसर्स ओएसिस लेबोरेट्रीज बनाम जगन्नाथ

503/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/11/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम महापुरा में नियत कर उभयपक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16/06/2017 पारित करते हुये ताफैसला वाद दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद के तहत यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता हैं कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद घोषणा का है, ऐसे में यदि विवादग्रस्त कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन किया जाता है अथवा अन्यत्र हस्तान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीयां बढना सम्भव है, जिसे न्यायहित में रोका जाना उचित समझा जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16/06/2017 के माध्यम से जो दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है, वह उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक अपीलार्थी का प्रभावित पक्षकार होना अन्यथा पक्षकार प्रकरण बनाने का प्रशन है तो अपीलार्थी पक्षकार प्रकरण बनने हेतु मूल वाद में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16/06/2017 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	